भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2792
दिनांक 19.4.2000 को उत्तर के लिए

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

2792 श्री बालकवि बैरागीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक विभाग और सरकारी उपक्रम अपने फार्मों और प्रक्रिया साहित्य को प्राइवेट प्रेस के माध्यम से अथवा अपने ही प्रिटिंग प्रेस में द्विभाषी रूप में मुद्रित कराने क बजाए सिर्फ अंग्रेजी में ही मुद्रित कराते हैं,

ख) क्या ऐसा सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में ही किया जा रहा है, और

ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी है ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री आई0डी0 स्वामी)

क), ख) और (ग) राजभाषा नियम - 1976 के नियम -11 में यह निहित है कि संघ सरकार के सभी प्रकार के फार्मों और प्रक्रिया साहित्य को द्विभाषी रूप में मुद्रित रूप में मुद्रित करवाया जाए । इन नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी मंत्रालयों/विभागों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों की है । राजभाषा विभाग को इस संबंध में उनसे तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से सूचना भेजी जाती है । सरकारी विभागों और उपक्रमों के संबंध में इन प्रावधानों के उल्लंघन की कोई सूचना नहीं मिली है ।